राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर – 19,
नया रायपुर (छ.ग.)
ई-मेल: seiaacg@gmail.com

क्र. 64 / एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग. / माईन / कांकेर / 557 नया रायपुर, दिनांक 17/4/2017

प्रति,

मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
ग्राम–मेटाबोडली,
तहसील–पंखाजुर,
जिला–कांकेर (छ.ग.)

विषय :– कुल लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका ऑनलाईन प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 17775 / 2016, दिनांक 16 / 11 / 2016 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक 20 / 02 / 2017

––:: 00 ::––

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र दिनांक 16 / 11 / 2016 एवं 20 / 02 / 2017 का अवलोकन हो।

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 17775 / 2016, यह आवेदन दिनांक 16 / 11 / 2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21 / 11 / 2016 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में टीओआर हेतु दिनांक 17 / 04 / 2015 को आयरन ओर उत्पादन क्षमता – 01 मिलियन टन / वर्ष के टीओआर बाबत् कुल एरिया 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 4.5 करोड़ है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2594 दिनांक 09 / 09 / 2015 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

लोक सुनवाई दिनांक 05 / 10 / 2016 प्रातः 11:00 बजे स्थान ग्राम–चारगांव, तहसील–पंखाजुर, जिला–उ.ब.कांकेर में संपन्न हुई। सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 09 / 11 / 2016 के द्वारा लोक

सुनवाई के दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन :– परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/11/2016 को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 208वीं बैठक दिनांक 06/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही का विस्तृत विवरण एवं कार्ययोजना, अनुमोदित माईनिंग प्लान तथा फाईनल ले–आउट प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे। साथ ही टी.ओ.आर. कम्प्लायंस स्टेटस, पर्यावरण प्रबंधन योजना, ई. आई. ए. रिपोर्ट, आयरन ओर के परिवहन की व्यवस्था, लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही का विस्तृत विवरण एवं कार्ययोजना तथा अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/01/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 214वीं बैठक दिनांक 11/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री एस.के. मोईत्रा, प्रेसीडेन्ट, श्री एस.के. पॉल, एसोसिएट हेड एवं श्री सुदीप द्विवेदी, मैनेजर इन्वायरोमेन्ट उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. संपूर्ण खदान क्षेत्र प्रोटेक्टेड फारेस्ट के अंतर्गत आता है। फलस्वरुप संपूर्ण भूमि वन भूमि है। आवेदित प्रकरण को पूर्णतः फारेस्ट क्लीरेंस भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29/02/2003 द्वारा प्राप्त हुआ है।
2. खदान का माईनिंग प्लान क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र दिनांक 24/08/2016 द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. समीपस्थ आबादी भानूप्रतापपुर 58 कि.मी. एवं शहर कांकेर 68 कि.मी. की दूरी पर है। दल्ली–राजहरा रेल्वे स्टेशन 62 कि.मी. की दूरी पर है। राज्यमार्ग 60 कि.मी. है। समीपस्थ जलाशय चारगॉव नदी 2.9 कि.मी., घोंगली नदी 5.1 कि.मी., पुलंजगोरी नाला 1.7 कि.मी एवं जमरी नाला 6.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। 10 कि.मी. की परिधि में कोहथोड़ी प्रोटेक्टेट फारेस्ट लीज बांउन्ड्री से लगी हुई, पोरौंदी प्रोटेक्टेट फारेस्ट 5.8 कि.मी., मंहाकान प्रोटेक्टेट फारेस्ट 4.2 कि.मी., वल्ला प्रोटेक्टेट फारेस्ट 3.8 कि.मी., सुल्तांगी प्रोटेक्टेट फारेस्ट 3.0 कि.मी., सुलंगी प्रोटेक्टेट फारेस्ट 1.7 कि. मी., पुलंज सालेभाट प्रोटेक्टेट फारेस्ट 5.0 कि.मी, नवागांव रिजन प्रोटेक्टेट फारेस्ट 5.6 कि.मी., सिकसोर प्रोटेक्टेट फारेस्ट 5.0 कि.मी. एवं बोवेली प्रोटेक्टेट फारेस्ट 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
4. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
5. जिओलॉजिकल रिजर्व 10.979 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 7.964 मिलियन टन है। बेंच की उंचाई 6.0 मीटर एवं चौड़ाई 9.0 मीटर है। उत्खनन ओपन कास्ट

मेकेनाइज्ड् विधि से किया जायेगा। ओव्हर ऑल स्लोप को 45^0 से कम रखा जावेगा, जिससे दुर्घटना होने की संभावना नहीं होगी। खदान की संभावित आयु 7.96 वर्ष है। जनित अपशिष्ट (ओव्हर बर्डन) की कुल मात्रा 1,32,052 घनमीटर होगी। जल की खपत 90 किलोलीटर/दिन है। जल की आपूर्ति डगवेल/ बोरवेल/ डेम एवं माईन पिट वॉटर से की जावेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जावेगी। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जावेगा। लीज क्षेत्र के अंदर गारलेण्ड ड्रेन बनाया जावेगा तथा रन ऑफ वाटर के एकत्रीकरण हेतु सैटलिंग पौण्ड बनाया जावेगा। तत्पश्चात् उपचारित रन ऑफ वाटर का उपयोग लीज क्षेत्र के भीतर विभिन्न कार्यों में किया जावेगा।

6. परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन 08 स्टेशनों में, भू–जल गुणवत्ता मापन 05 स्टेशनों में, ध्वनि स्तर मापन 08 स्टेशनों में, सतही जल गुणवत्ता 04 स्टेशनों में तथा मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2015 से दिसम्बर 2015 के मध्य किया गया है। मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 16.4 से 31.4 माईक्रोग्राम / घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 34.1 से 52.7 माईक्रोग्राम / घनमीटर, एसओ$_2$ 6.5 से 11.1 माईक्रोग्राम / घनमीटर तथा एनओ$_{\text{एक्स}}$ 10.2 से 20.8 माईक्रोग्राम / घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर 37.8 डीबीए से 46.0 डीबीए पाया गया।
7. 03 स्टेशनों में पूर्व में आयरन ओर उत्पादन क्षमता – 0.05 मिलियन टन / वर्ष हेतु मॉनिटरिंग कार्य मई 1995 के अनुसार एस.पी.एम. 55.90 से 98.86 माईक्रोग्राम / घनमीटर था। वर्तमान में आयरन ओर उत्पादन क्षमता – 0.05 मिलियन टन / वर्ष हेतु रेगुलर मॉनिटरिंग डाटा अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016 तक के अनुसार पी.एम.$_{10}$ 33.0 से 48.0 माईक्रोग्राम / घनमीटर एवं पी.एम.$_{2.5}$ 17.0 से 28.0 माईक्रोग्राम / घनमीटर है।
8. आयरन ओर के परिवहन हेतु खदान क्षेत्र से रेलवे साईडिंग अंतागढ़ एवं केओती की दूरी 30 कि.मी. है, जिसके पूर्ण होने की संभावना जून – जुलाई 2019 तक है।
9. राज्य मार्ग एवं खदान क्षेत्र के बीच रोड मेंटेनेंस हेतु जिला कलेक्टर, कांकेर, ग्रामवासियों एवं उद्योग के बीच समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् ग्राम–मेटाबोदली से वर्तमान में निर्मित सड़क तक सीमेंटेड रोड के निर्माण हेतु प्रस्तावित खर्च का 50 प्रतिशत उद्योग द्वारा निर्वहन किया जावेगा।
10. सब्सिडेंस तथा ब्लास्टिंग स्टडी के संबंध में उद्योग का कथन है कि अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार कुछ क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत आयरन ओर मामूली कठोर (moderately hard) है, जिसे एक्सवेटर तथा रॉक ब्रेकर से उत्खनन किया जावेगा। शेष 70 प्रतिशत स्ट्रेटा कठोर है, जिसमें ड्रीलिंग व ब्लास्टिंग आवश्यक है। वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी गई है। अतः साईट मिक्स स्लरी (एस.एम.एस.) का उपयोग किया जाता है। इस ओपन कास्ट माईनिंग में सब्सिडेंस की संभावना तथा दुर्घटना की संभावना नहीं है। अनुमोदित माईनिंग प्लान में "no high risk accidents are anticipated as the project is an open cast mechanized mines in a fairly stable area and free from land subsidence and earthquake. Overall slope of the quarry will be maintained less than 45^0 which can withstand in a stable condition and hence the site is safe" का उल्लेख किया गया है।

लोक सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं :–

1. भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश 2014 (VII)(2) पृष्ठ – 30 में दर्ज टीप के आधार पर जब तक पूर्व में दिए गए क्षेत्र में संपूर्ण खनिज का दोहन न कर लिया जावे, नई जगह (पिट्स) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
2. उद्योग द्वारा जिस मार्ग का उपयोग परिवहन हेतु किया जा रहा है, उसकी क्षमता के संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र ली जानी चाहिए।
3. पांचवी अनुसूची क्षेत्र का परिपालन कितना सार्थक किया जाता है।
4. ग्राम पंचायतों का महत्व एवं ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों की सार्थकता।
5. पहाड़ी के पटाव, लाल पानी तथा मिट्टी के बहाव की वजह से खेत की फसल का नुकसान हुआ है। नौकरी मुआवजा दी जानी चाहिए।
6. 10 कि.मी. के दायरे में आ रहे लोगों के स्वास्थ्य एवं कृषि के संबंध में अध्ययन कराने की आवश्यकता है।
7. स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.आई.) की व्यवस्था की जानी चाहिए।
8. स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के संबंध में उद्योग का कथन एवं कार्ययोजना निम्नानुसार है:–

1. यह प्रस्ताव 50,000 एम.टी. प्रति वर्ष से 10,00,000 एम.टी प्रति वर्ष क्षमता विस्तार का है। माइनिंग लीज क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अतः जिन प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है, वह प्रभावहीन है।
2. जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिस मार्ग से लौह अयस्क का परिवहन किया जा रहा है, उसका रखरखाव उद्योग द्वारा किया जावेगा।
3. प्रत्येक कार्य ग्राम समिति के मान्यता उपरान्त ही किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि पांचवी अनुसूची में आने वाले किसी भी नियमों का उलंघन न हो।
4. सभी सी.एस.आर. एवं विकास कार्य ग्राम समिति के अनुमति उपरांत ही किया जाता है एवं भविष्य में भी किया जावेगा।
5. पहाड़ी के कटाव, लाल पानी तथा मिट्टी के बहाव की वजह से खेत की फसल नुकसान के संबंध में ग्राम–समिति द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार पाया गया कि खेतों में सामान्य वर्षा जल का ही प्रवाह हुआ है। लाल पानी तथा मिट्टी के बहाव की वजह से खेत की फसल का नुकसान नहीं हुआ है। अतः मुआवजा राशि (compensation) की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। यह कार्य समिति को सुपुर्द किया गया है एवं उसके द्वारा नुकसान का विश्लेषण करने के बाद मुआवजा राशि सुनिश्चित की जावेगी।
6. परियोजना के सी.एस.आर मद के तहत् किये जाने वाले कार्यों जैसे–चिकित्सा शिविरों एवं स्कूल व्यवस्था आदि में परियोजना में कार्यरत् लोगों के अतिरिक्त ग्राम के सभी ग्रामीणों को इसका लाभ प्राप्त होगा। स्थानीय लोगों को कृषि की नई विकसित तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे विकास एवं स्वनिर्भरता बढ़ेगी।
7. उद्योग द्वारा माइनिंग समिति के परामर्श को मान्य करते हुए शैक्षणिक विकास प्रोजेक्ट्स एवं नवयुवकों को स्कील डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण प्रदान कर नियमानुसार रोजगार प्रदान किया जावेगा।

8. स्थानीय ग्राम वासियों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जावेगा।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर से प्राप्त कर दिनांक 02/02/2017 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 217वीं बैठक दिनांक 21/02/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक बस्तर/लौह/खपो–465/नाग/2016/41–रायपुर दिनांक 24/08/2016 (अवधि 2017–18 से 2021–22 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना है:–

   - टॉप स्वाईल का भण्डारण पर्यावरणीय स्वीकृति शर्त अनुसार किया जावे।
   - चेक डेम एवं सिलटेशन पॉण्ड की व्यवस्था माईनिंग माईन डेव्हलपमेंट के साथ – साथ किया जावे।
   - फॉरेस्ट क्लिरेंस अनुसार सेफ्टि जोन में ग्रीन बेल्ट को दर्शाते हुये विकसित किया जावे।
   - परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु स्टेशन स्थापित किया जावे तथा नियमित रूप से उसकी रिपोर्ट संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे।
   - भू–जल स्तर की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जावे।
   - लीज क्षेत्र के आसपास फ्युजिटिव डस्ट के उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु व्यवस्था किया जावे।
   - लीज क्षेत्र को चिन्हाकित कर पक्के मुनारे बनाया जावे।

उपरोक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/02/2017 को प्रस्तुत जानकारी में उल्लेखित बिन्दओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं कार्ययोजना निम्नानुसार है:–

- अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार जहां कही भी टॉप स्वाइल उपलब्ध होगा, उसे 7.5 मीटर चौड़े बेरियर जोन में एकत्र कर वृक्षारोपण किया जावेगा। कट आफ ग्रेड आयरन ओर (अर्थात 45 प्रतिशत आयरन कंटेन्ट) का उपयोग किया जावेगा। टॉप स्वाइल की मात्रा अपेक्षाकृत कम बताई गई है। संपूर्ण उत्खनित ओर (कट आफ ग्रेड 45 प्रतिशत आयरन ओर कन्टेन्ट) का उपयोग किया जावेगा, अतः ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।
- चेक डेम एवं सिलटेशन पॉण्ड की व्यवस्था किया गया है।

- फॉरेस्ट क्लीरेंस अनुसार सेफ्टि जोन में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जा रहा है।
- परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु स्टेशन स्थापित कर नियमित रूप से उसकी रिपोर्ट संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा।
- भू–जल स्तर की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जावेगा।
- लीज क्षेत्र के आसपास फ्युजिटिव डस्ट के उत्सर्जन के नियंत्रण जल छिड़काव की व्यवस्था किया गया है।
- लीज क्षेत्र को चिन्हाकित कर पक्के मुनारे बनाया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से कुल लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 70वीं बैठक दिनांक 07/04/2017 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये कुल लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावे।

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

तदानुसार कुल लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष को पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

i) Benificiation of Iron ore (wet or dry) shall not be carried out by the project proponent within lease area.

ii) Top soil shall be stacked properly with proper slope with adequate safeguards. Plantation shall be done on it after storing the top soil in barrier zone.

iii) Over burden shall be stacked at earmarked dump site (s) only and shall not be kept active for long period. The OB dumps shall be scientifically vegetated with suitable native species to prevent erosion and surface run off. Monitoring and management of rehabilitated areas shall continue until the vegetation becomes self-sustaining.

iv) Project authority shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent (if any) and domestic effluent. Domestic effluent shall be treated in well-designed septic tank and soak pits. In case of any failure of effluent treatment arrangement, it shall be immediately rectified or same alternate arrangement shall be provided. Treated effluent shall be utilized either in process or for plantation purposes within plant premises only. Project authority shall make arrangement of suitable drains/pipe networks to ensure adequate flow for full utilization of treated effluent inside the premises. No effluent shall be discharged out of mine premises under any circumstances. Hence zero discharge condition outside the premises shall be maintained all the time. Project authority shall ensure the treated effluent quality within

standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Industrial wastewater shall conform to the standards prescribed under GSR 422 (E) dated 19th May, 1993 and December, 1993 or as amended form time to time.

v) Any liquid effluent what so ever generated from mining activities shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process/plantation. All the industrial effluent generated shall be re-circulated/reused after proper treatment. Project authority shall provide sewage treatment system of adequate capacity for treatment of domestic effluent generated. The un-treated/treated domestic effluent shall not be discharge into the river or any surface water bodies. The treated domestic effluent shall be used for plantation purpose after proper disinfection. The concept of zero discharge shall be maintained all the time except during monsoon. Arrangements shall be made that effluents and storm water do not get mixed.

vi) Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operation. The monitoring shall be carried out four times in a year – pre-monsoon (April-May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the data thus collected may be sent regularly to SEIAA, Chhattisgarh, Central Ground Water Authority and Regional Director Central Ground Water Board.

vii) Prior permission from the competent authority shall be obtained for drawl of ground water if any.

viii) The project authority shall implement suitable conservation measures to augment ground water resources in the area in consultation with the Regional Director, Central Ground Water Board.

ix) Adequate no of garland drains and check dams shall be constructed to arrest silt and sediment flows from soil and mineral dumps. The water so collected shall be utilized for watering the mine area roads, green belt development etc after proper treatment. The drains shall be regularly de silted particularly after monsoon and maintained properly.

x) Project authority shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources (if any). Project authority shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running conditions all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay otherwise similar alternate arrangement shall be made. The emission of pollutants from any point source (if any) shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	50 mg/Nm^3 (Fifty Milligram per Normal Cubic Meter)

xi) Four ambient air quality – monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for $PM_{2.5}$, PM_{10}, SO_2, NOx monitoring. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the state Pollution Control Board.

xii) Data on ambient air quality ($PM_{2.5}$, PM_{10}, SO_2, NOx) should be regularly monitored. The data so collected shall be properly analyzed and submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Naya Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Jagdalpur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur in every six months.

xiii) Fugitive dust emissions from all the sources shall be controlled regularly. Water spraying arrangement on haul roads, loading and unloading and at transfer points shall be provided and properly maintained.

xiv) Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Measures shall be taken for maintenance of vehicles used in mining operations and in transportation of minerals. The vehicles shall be covered with a tarpaulin and shall not be overloaded.

xv) Measures shall be taken for control of noise levels in the work environment. Workers engaged in operations of HEMM, etc. shall be provided with ear plugs/ muffs.

xvi) A Final Mine Closure Plan shall be submitted to the SEIAA, Chhattisgarh, 5 years in advance of final mine closure for approval.

xvii) Plantation shall be raised by planting the native species around the ML area, roads, OB dump sites etc. in consultation with the local DFO/ agriculture Department. Plantation shall be completed within first year. Incase project proponent fails to carryout plantation, this environmental clearance may be cancelled.

xviii) No change in mining technology and scope of working shall be made without prior approval of the SEIAA, Chhattisgarh.

xix) No change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral iron ore shall be made.

xx) Conservation measures for protection of flora and fauna in the core & buffer zone shall be drawn up in consultation with local forest and wildlife department.

xxi) Personnel working in dusty areas shall wear protective respiratory devices and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

xxii) The project authorities shall inform to SEIAA, Chhattisgarh regarding date of financial closures and the date of start of land development work.

xxiii) The funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and should not be diverted for other purpose. Your wise expenditure shall be reported to the SEIAA, Chhattisgarh.

xxiv) Occupational Health Surveillance of the workers should be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

xxv) Project authority shall establish an environmental management cell to carryout function relating to environmental management under the supervision of senior executive who shall directly report to the head of organization. A full-fledged laboratory with qualified technical/scientific staffs to monitor the influent, effluent, ground water, surface water, soil, stack emission and ambient air quality etc. shall be provided.

xxvi) The issuance of this environmental clearance does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does

not authorize any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or Local laws or regulations.

xxvii) SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to amend/cancel any of the conditions and add new conditions and make further stringent the emission/effluent limit as and when deemed necessary in the interest of environmental protection, change in the project profile or non-satisfactory implementation of the stipulated conditions etc.

xxviii) Local persons shall be given employment during construction and operation of the plant.

xxix) The project proponent shall advertise in at least two local newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days from the date of this clearance letter, informing that the project has been accorded environmental clearance and copies of clearance letter are available with the Chhattisgarh Environment Conservation Board and may also seen at Website of SEIAA, Chhattisgarh at www.seiaacg.org.

xxx) Half yearly report on the status of implementation of the stipulated conditions and environment safeguards shall be submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Naya Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Jagdalpur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

xxxi) Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India at Nagpur shall monitor the implementation of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report and Environment Management Plan along with the additional information submitted from time to time shall be forwarded to the Regional Office for their use during monitoring.

xxxii) Full cooperation shall be extended to the Scientists/Officers from the SEIAA, Chhattisgarh, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India /Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur / CPCB/ Chhattisgarh Environment Conservation Board, who would be monitoring the compliance of environment status.

xxxiii) In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India /SEIAA, Chhattisgarh.

xxxiv) Concealing factual data or submission of false / fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

xxxv) The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xxxvi) The above stipulations would be enforced among others under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and

Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) act, 1986 and rules there under, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and its amendments, the Public Liability Insurance Act, 1991 and its amendments.

xxxvii) Chhattisgarh Environment Conservation Board shall display a copy of the clearance letter at the Regional Office, District Trade and Industries Centre and Collector's Office / Tehsildar's Office for 30 days.

xxxviii) Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

सदस्य सचिव
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ

पृ. क.   /एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग./ माईन/कांकेर/557 नया रायपुर, दिनांक   /   /2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492001
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, सीबीडी–कम–ऑफिस काम्प्लेक्स, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली – 100 032
3. डायरेक्टर, जीओलॉजी एवं माईनिंग, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492001
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर – 19, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
5. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 100003
6. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र)
7. कलेक्टर, जिला – कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मडल, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ